# फर्द अहकाम

...य उपखण्ड अधिकारी मुकाम गोविन्दगढ़ (अलवर)

संजय वगैरा बनाम कुंतीबाई वगैरा

...न० 2/88/2023 ता० रजु 05.04.2023

| ...रीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ |
|---|---|---|
| ...05.04.2023 | वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र के सर्मथन में प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र पेश किया व अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया वकिल प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है।<br><br>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वो विवादीत आराजी खसरा नम्बर 75, 362 वाके ग्राम आसाका तह० गोविन्दगढ़ के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यतः बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेंगा।<br><br>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो दिनांक 03.05.2023 को असालतन/वकालतन उपस्थित होकर पेश करें, कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि० डाक से तलब हो पत्रावली दिनांक 03.05.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।<br><br>Sd/-<br>उपखण्ड अधिकारी<br>गोविन्दगढ़ (अलवर) राज० | |
| 3/5/23 | पत्रावली पेश। P.O. साहब ...रुखसत... n.i.w. है।<br>...तारीख... को पेश हो।<br>पत्रावली दिनांक ...7/6/23<br>Sd/- रीडर | |
| 7/6/23 | ...वकिल वादी... उपस्थित।<br>साबिक आदेश दिनांक ...05.4.23...<br>की पालना में पत्रावली वास्ते ...तलबी रिपोर्ट...<br>दिनांक ...14/7/23... को पेश हो<br>Sd/-<br>उपखण्ड अधिकारी<br>गोविन्दगढ़ (अलवर) | |

**Form No.III**

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ़ जिला–अलवर

.................सोजरा.................बनाम.................[illegible].................

प्रकरण सं.......2/87/2023 तारीख रजू.......05.04.2023

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ |
|---|---|---|
| 28.10.2024 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र -212 RTA NOT PRESS कर खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः पत्रावली वकील प्रार्थी के NOT PRESS में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>गोविन्दगढ़ (अलवर) राज० | |